



ठाणे महानगरपालिका, ठाणे वृक्षप्राधिकरण जाहीर सुचना

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५, महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन नियम २००९ के अनुसार और मा. मुंबई उच्च न्यायालय जनहित याचिका क्र. ११९/२०१७ में सूचित आदेशानुसार मा. मुंबई उच्च न्यायालय जनहित याचिका क्र. ९३/२००९ में विहित निकषों के अनुसार वृक्षप्राधिकरण में नामनिर्देशित छह सदस्यों की नियुक्ति करने हेतु पात्रता धारकों से आवेदन मंगा रहे हैं।

१. वृक्ष प्राधिकरण में अशासकीय संस्था के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति हेतु नामनिर्देशित व्यक्ति शासन के सामाजिक वनीकरण विभाग में अशासकीय संस्था का सक्रीय सदस्य रहेगा तथा उसे वृक्षारोपण, जतन और वृक्ष संरक्षण में रुचि रहनी चाहिए।

२) वृक्षारोपण, जतन, पुनरोपण अथवा पर्यावरण संवर्धन, क्षेत्र में विशेष ज्ञान व कम से कम दस सालों का समृद्ध अनुभव होना चाहिए।

३) एक अशासकीय संस्था का एक ही प्रतिनिधि नामनिर्देशन के लिए पात्र रहेगा।

४) कृषि / वन / उद्यान विद्या शास्त्र में पदवी एवं पदविका पाने वालों को प्राधान्य रहेगा।

५) राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत अशासकीय संस्था के प्रतिनिधि को प्रथम प्राधान्य दिया जाएगा।

पात्र उम्मीदवार संपूर्ण जानकारी एवं आवश्यक कागजातों के साथ समय पर आवेदन दाखिल करें। पात्रताधारक उम्मीदवार को आवेदन के साथ संलग्न कागजात प्राधिकार अधिकारी द्वारा निर्गमित किया जाना आवश्यक है। उक्त कागजातों की स्वसाक्षात्कृत प्रतियों के साथ आवेदन बंद लिफाफे में नागरी सुविधा केंद्र, तल मजला, महापालिका भवन, चंदनवाडी, पांचपाखाडी (ठाणे) प.-४००६०२ में कार्यालय के समय पर उक्त सूचना प्रसिद्धि की तिथि से ०८-०६-२०१८ तक जमा कराना जरुरी है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले एवं अपुर्ण कागजातों वाले आवेदनों का विचार नहीं किया जाएगा। अपात्र उम्मीदवारों तथा पात्र होने पर भी नामनिर्देशित न होनेवाले उम्मीदवारों से किसी भी तरह का पत्रव्यवहार नहीं किया जाएगा। उक्त सूचना ठाणे महानगरपालिका के वेबसाइट पर प्रसिद्ध की जाएगी।

www.thanecity.gov.in

(संजीव जयस्वाल)
महापालिका आयुक्त
अध्यक्ष, वृक्षप्राधिकरण,
ठाणे महानगरपालिका, ठाणे